प्रेस विज्ञप्ति

09-02-2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), ईटानगर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 06.02.2026 को ट्रांस-अरुणाचल हाईवे भूमि मुआवजा घोटाले से संबंधित मामले में अरुणाचल प्रदेश एवं असम में स्थित 6 आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया है। इन छह परिसरों में से चार परिसर ईटानगर तथा उसके आसपास, एक परिसर लिकाबाली (डिब्रूगढ़ के निकट) तथा एक परिसर आलू में, मेचुका–चीन सीमा के निकट स्थित है। तलाशी के ये स्थल अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग से लेकर पूर्वी भाग तक विस्तृत हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र एवं दुर्गम पर्वतीय भू-भाग से आच्छादित हैं, जिनमें दूरस्थ एवं संवेदनशील स्थान भी शामिल हैं, जिसके फलस्वरूप पूरे राज्य में जांच की समग्र भौगोलिक कवरेज सुनिश्चित की गई है।

तलाशी कार्यवाहियों के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कुल ₹2.62 करोड़ की नकदी कुर्क की गई है। इसमें से ₹2.40 करोड़ की नकदी लिखा माज (निजी लाभार्थी / प्रमुख माध्यम) के आवासीय परिसर से तथा ₹22 लाख की नकदी तदार बाबिन (निजी लाभार्थी) के आवासीय परिसर से जब्त की गई है। आगे, तदार बाबिन एवं भारत लिंगु (पूर्व-डीएलआरएसओ, ज़ीरो) से संबंधित लगभग ₹1.77 करोड़ की बैंक शेषराशि के उपयोग पर रोक (फ्रीज) लगा दी है। ईडी द्वारा केमो लोल्लेन (पूर्व उप-आयुक्त, ज़ीरो) एवं उनके परिवारजनों, भारत लिंगु (पूर्व-डीएलआरएसओ, ज़ीरो), टोको ताजे (कनिष्ठ अभियंता, लोक निर्माण विभाग) तथा लिखा सोनी (निजी लाभार्थी) के आवासीय परिसरों से अपराध-संकेती दस्तावेज एवं अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जिनके बारे में संदेह है कि वे मुआवजा निधि से अर्जित किए गए हैं।

पूर्व में जांच के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अभियुक्त व्यक्तियों, जिनमें कबाक भट्ट (कनिष्ठ अभियंता, लोक निर्माण विभाग) तथा मेसर्स टी एंड जी एंटरप्राइजेज भी शामिल हैं, से संबंधित बैंक खातों, सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) तथा आवर्ती जमा (रिकरिंग डिपॉजिट) में उपलब्ध लगभग ₹3.95 करोड़ की धनराशि की पहचान कर उसके उपयोग पर रोक (फ्रीज) लगा दिया था। जांच में यह भी उजागर हुआ है कि सरकारी मुआवजा निधि से बिना किसी प्राधिकार के कुल लगभग ₹175 करोड़ की सावधि जमा खाता खोला गया था तथा इन जमाओं से अर्जित लगभग ₹2.79 करोड़ की ब्याज राशि को वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए विपथित (डायवर्ट) किया गया। आगे, उक्त सावधि जमाओं से प्राप्त ₹21.57 लाख की ब्याज राशि को कबाक भट्ट (कनिष्ठ अभियंता, लोक निर्माण विभाग) के व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित किया गया। ईडी द्वारा धन शोधन

निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत धन शोधन के अपराध के लिए कबाक भट्ट के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन शिकायत पहले ही दायर की जा चुकी है।

यह जांच सड़क उन्नयन हेतु संचालित ट्रांस-अरुणाचल हाईवे (पोटिन–बोपी खंड, 0.00 कि.मी. से 157.70 कि.मी.) परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण मुआवजा के आकलन एवं वितरण में हुई बड़े पैमाने की अनियमितताओं से संबंधित है। यह खंड प्रशासनिक रूप से याचुली, ज़ीरो एवं रागा सेक्टरों में विभाजित किया गया था। जांच में यह तथ्य सामने आया है कि यद्यपि प्रारंभ में लगभग ₹289.40 करोड़ के मुआवजा आकलन प्रस्तावित किए गए थे, तथापि बाद में इसे घटाकर लगभग ₹188 करोड़ तक सीमित कर दिया गया, हालांकि, इसका वितरण अपारदर्शी ढंग से किया गया, जिससे निजी व्यक्तियों को अनुचित लाभ प्राप्त होना संभव हुआ।

राज्य तथ्य-अन्वेषण समिति द्वारा किए गए सत्यापन में अनुमानित, देय तथा वास्तविक रूप से वितरित मुआवजा राशि के बीच बड़े पैमाने पर विचलन (डेविएशन) उजागर हुए हैं। याचुली सेक्टर में, जहां देय मुआवजा लगभग ₹38.18 करोड़ था, उसके विरुद्ध लगभग ₹66.25 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग ₹28 करोड़ का अतिरिक्त वितरण हुआ। इसी प्रकार की अनियमितताएं एवं अतिरिक्त मुआवजा वितरण ज़ीरो एवं रागा सेक्टरों में भी चिन्हित की गई हैं। समग्र रूप से, इन अनियमितताओं के कारण सरकारी राजकोष को लगभग ₹44.98 करोड़ की अनुचित हानि हुई है।

जांच में आगे यह भी सामने आया है कि अपराध की आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) का सृजन फर्जी लाभार्थियों के निर्माण, मूल्यांकन अभिलेखों में हेरफेर, अनधिकृत बैंक खातों एवं सावधि जमाओं के माध्यम से सरकारी धन का विपथन (डायवर्जन), तथा निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के माध्यम से धन के अनुमार्गण (रूटिंग) के जरिए किया गया। साक्ष्यों से यह भी संकेत मिलता है कि लोक सेवकों को अवैध परितोषण का भुगतान किया गया तथा इसके पश्चात बैंक खातों, निवेशों एवं परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के माध्यम से अपराध की आय का परतन (लेयरिंग) किया गया।

आगे की जांच जारी है।



अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित तलाशी परिसर



अरुणाचल प्रदेश के आलू में स्थित तलाशी परिसर (केमो लोल्लेन के आवासीय परिसर)





अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी से पूर्वी क्षेत्रों तक फैले नाहरलागुन, ईटानगर, लिकाबाली (असम) और आलू में स्थित तलाशी परिसरों के स्थानों को दर्शाता एक मानचित्र।





पोटिन से बोपी तक, ज़ीरो–रागा–याचुली सेक्टर के मार्ग से गुजरने वाली ट्रांस-अरुणाचल हाईवे को दर्शाता मानचित्र।